निगरानी/टी.ए./4336/2006/जयपुर
रामानन्द बनाम कन्हैयालाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य उपस्थित : श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी दिनांक : 17–06–2025 **निर्णय** यह निगरानी अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर द्वारा प्रकरण संख्य 199/2005 में पारित आदेश दिनांक 29–04–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अतः अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार, फुलेरा के समक्ष रास्ता खुलवाने बाबत् प्रस्तुत किया। जिसे तहसीलदार, फुलेरा ने अपने निर्णय दिनांक 31–05–2004 द्वारा स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी ने अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 29–04–2006 द्वारा खारिज कर दी गई। उनका तर्क है कि तहसीलदार के समक्ष अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही संधारण योग्य नहीं था। अप्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में यह नहीं दर्शाया कि विपक्षीगण अपनी खातेदारी की किस भूमि पर जाने के लिए एवं उसका उपयोग व उपभोग शुरू से करता आ रहा है। तहसीलदार ने आदेश पारित करने से पूर्व प्रार्थना पत्र निर्णित करने की आवश्यक प्रक्रिया को नहीं अपनाया तथा प्रार्थी को बिना नोटिस दिये पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब कर ली, जिससे प्रार्थी को सुनवाई का ना तो तहसीलदार ने अवसर दिया एवं ना ही पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय प्रार्थी को नोटिस ही दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	द्वारा उठाये गये बिन्दुओं एवं अपील मीमों में लिये गये तर्को पर अपना निर्णय पारित नहीं किया। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया अविधिक एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः यह निगरानी को स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–04–2006 व 31–05–2004 निरस्त किये जावें तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जावें। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट दिनांक 20–08–1999 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि खसरा नंबर 1986 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा में फुलेरा से सांभर की सडक से उक्त खसरा नंबर तक रास्ता राजस्व नक्शे में कटा हुआ नहीं है। वर्ष 1998 तक खसरा नंबर 1975 व 1911, 1907/2269 की मेड के सहारे दोनों तरफ से आने जाने का खाम रास्ता था लेकिन वर्ष 1999 में खसरा नंबर 1911, 1907/2269 पर रामानन्द ने व खसरा नंबर 1975 पर हरदेव पुत्र काना रेगर ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है तथा दोनों ने मिलकर फुलेरा–सांभर सडके सहारे–सहारे खसरा नंबर 1975, 1911, 1907/2269 की पश्चिम मेड पर डोल लगाकर उक्त खाम रास्ते को बन्द कर दिया, जिससे खातेदार कनैहयालाल, बिरदीचन्द को अपनी खातेदारी की भूमि व रिहायशी मकानों एवं खेती के कार्य के लिये आने–जाने में भारी असुविधा हो रही है व उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं होना बताया। ऐसी स्थिति में तहसीलदार फुलेरा ने सार्वजनिक, जनहित में सुविधा हेतु काश्तकारों को अपनी खातेदारी भूमि तक आने–जाने के लिये रास्ता खुलवाना आवश्यक मानते हुए अपने निर्णय दिनांक 31–05–2004 द्वारा रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया है, जो न्यायोचित है एवं जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर ने भी बहाल	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	रखा है। हम दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों से सहमत हैं एवं उनमें निगरानी के माध्यम से हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी खारिज की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–04–2006 एवं 31–05–2004 बहाल रखे जाते हैं। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	